

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, जनलेखा समिति, 2012-2013 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. वर्ष 2006-07 के लिए सी.ए.जी. प्रतिवेदन (रा.प्रा.) में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति 2012-13 का 182वाँ प्रतिवेदन ।
2. जनलेखा समिति, 2010-11 के 63वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 183वाँ प्रतिवेदन।
3. दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार “किसानों के हक की राशि होटल में उड़ाई” की कटिंग के संबंध में मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 229(4) के तहत जाँच हेतु जनलेखा समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर प्रक्रिया के नियम- 201 के अन्तर्गत जनलेखा समिति, 2012-13 का विशेष 184वाँ प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति, 2011-12 के 117वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 185वाँ प्रतिवेदन।
5. जनलेखा समिति, 2011-12 के 130वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 186वाँ प्रतिवेदन।
6. जनलेखा समिति, 2010-11 के 54वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 187वाँ प्रतिवेदन।
7. जनलेखा समिति, 2011-12 के 151वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 188वाँ प्रतिवेदन।

जारी..2..

8. जनलेखा समिति, 2011-12 के 113वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 189वाँ प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2011-12 के 137वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 190वाँ प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2011-12 के 71वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 191वाँ प्रतिवेदन।
11. जनलेखा समिति, 2011-12 के 123वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 192वाँ प्रतिवेदन।
12. जनलेखा समिति, 2011-12 के 78वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 193वाँ प्रतिवेदन।
13. जनलेखा समिति, 2011-12 के 92वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 194वाँ प्रतिवेदन।
14. जनलेखा समिति, 2011-12 के 91वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 195वाँ प्रतिवेदन।
15. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.2.1, 3.4.1 एवं 3.4.7 में समाविष्ट आयुर्वेद विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 196वाँ प्रतिवेदन।
16. विनियोग लेखे वर्ष 2009-10 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 197वाँ प्रतिवेदन।
17. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.1.5, 3.2.7 एवं 3.2.8 में समाविष्ट जल संसाधान विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 198वाँ प्रतिवेदन।
18. जनलेखा समिति, 2011-12 के 97वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 199वाँ प्रतिवेदन।
19. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.3.1, 3.4.7 में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 200वाँ प्रतिवेदन।

20. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.3.4, एवं वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.2.3 एवं 3.4.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 3.3.3 चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 201वाँ प्रतिवेदन ।
21. जनलेखा समिति, 2011-12 के 99वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 202वाँ प्रतिवेदन।
22. जनलेखा समिति, 2011-12 के 148वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 203वाँ प्रतिवेदन।
23. जनलेखा समिति, 2010-11 के 49वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 204वाँ प्रतिवेदन ।
24. जनलेखा समिति, 2011-12 के 138वें प्रतिवेदन(13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 205वाँ प्रतिवेदन ।
25. सी.ए.जी..प्रतिवेदन (रा.प्रा.) वर्ष 2008-09 के अनुच्छेद संख्या-6.8 में समाविष्ट गृह(पुलिस) विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 206वाँ प्रतिवेदन ।
26. जनलेखा समिति वर्ष 2010-11 के 69वें प्रतिवेदन (13वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति, 2012-13 का 207वाँ प्रतिवेदन।
27. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2009-10 के अनुच्छेद संख्या 3.5.3 सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4 तथा वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 3.4.4 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति, 2012-13 का 208वाँ प्रतिवेदन ।

(II) श्री भगवान सहाय सैनी, सभापति, याचिका समिति, 2012-2013 स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के संबंध में याचिका समिति, 2012-2013 के 10वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(III) श्री आदराम मेघवाल, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2012-2013 राजस्व (उपनिवेशन) विभाग से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2012-2013 के 5वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

### 3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के तहत ही होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(II) श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- सरदार शहर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय को स्नात्कोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् ।
- 2- तहसील-सरदार शहर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलासर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत् ।
- 3- कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति बाबत् ।

### 4. विधायी कार्य

#### पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,  
जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-5)

"जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

वर्धमान महावीर खुला  
विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन)  
विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-6)

"वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-7)

"राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-8)
- "महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(5) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-9)
- "राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(6) मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

- (I) डॉ० दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय  
(संशोधन) विधेयक, 2013  
(2013 का विधेयक संख्या-10)

"मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।  
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रत्तर वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (वि.सं.-54), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया  
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 25 फरवरी, 2013